

\* सफल धरलु आय अथवा साधन लागत पर सफल धरलु आय किसी एक लेखा वर्ष में सामान्य विवाह द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूँजी उपभोग मूल्य का जोड़ है।

$$NDP_{FC} = GDP_{FC} - \text{धिसावट व्यय}$$

\* राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ( $NNP_{FC}$ )

किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की धरलु सीमा में अर्जित कुल साधन आय (लागत + मजदूरी + ब्याज तथा लाभ) तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है।

$$\bullet \text{ राष्ट्रीय आय} = (\text{लागत} + \text{मजदूरी} + \text{वेतन} + \text{ब्याज} + \text{लाभ})$$

$$NNP_{FC} = (NDP_{FC} + \text{विदेशों से शुद्ध साधन आय})$$

Note — इसमें धिसावट व्यय शामिल नहीं होता है।

\* निजी आय — इसमें निजी क्षेत्र की मिलने वाली सभी आय भुगतान (जैसे— वेतन व मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि) तथा गैर-आय भुगतान (जैसे— सभी प्रकार के हस्तान्तरण भुगतान) आते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होता है।

$$\text{निजी आय} = \text{निजी क्षेत्र की धरलु उत्पाद से प्राप्त आय} + \text{विदेशों से शुद्ध साधन आय} + \text{सरकार से चालू हस्तान्तरण} + \text{शीघ्र विश्व से शुद्ध चालू हस्तान्तरण} + \text{राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज}$$

\* व्यक्तिगत या वैयक्तिक आय — व्यक्तिगत आय से वह है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है।

$$\text{व्यक्तिगत आय} = (\text{राष्ट्रीय आय} - \text{मिशन कर} - \text{अवितरित व्ययसविकुलाय} - \text{सामाजिक सुरक्षा अंगदान} + \text{हस्तान्तरण भुगतान})$$

धरेंद्र  
निवा  
वैयक्तिक प्रयोज्य आय — यह वह आय है जो व्यक्तियों को सभी  
स्त्रियों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के  
बाद व्यक्ति के पास बचती है।

वैयक्तिक प्रयोज्य आय = वैयक्तिक आय - प्रत्यक्ष कर - सरकार की  
विविध प्राप्तियाँ

\* राष्ट्रीय प्रयोज्य आय — राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय —  
है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोत (अर्जित आय  
एवं विदेशों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तान्तरण भुगतानों) से  
उपभोग या व्यय के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय प्रयोज्य आय = राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर शुद्ध  
घरेलू आय + विदेशों से शुद्ध साधन आय) + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर  
+ शेष विषय से शुद्ध चालू हस्तान्तरण।